राधिका झा
आई0ए0एस0
राज्य परियोजना निदेशक

मध्याह्न भोजन योजना
Mid Day Meal Scheme

राज्य परियोजना कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान,
मध्याह्न भोजन योजना प्रकोष्ठ
ननूरखेड़ा निकट विद्यालयी शिक्षा निदेशालय,
तपोवन मार्ग, रायपुर, देहरादून ।
E-mail : mdmcell.uttarakhand@gmail.com
दूरभाष : 0135–2781944 फैक्स : 2781944
टोल फ्री नं0: 1800 180 4132

सेवा में,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
(प्रारम्भिक शिक्षा),
उत्तराखण्ड।

पत्रांकः– एम0डी0एम/21/606/2013–14 दिनांक 04 ~~दिसम्बर~~ जनवरी, 2014

**विषयः– मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत हिमालय क्षेत्रीय अध्ययन एवं शोध संस्थान, दिल्ली द्वारा किए गए सर्वेक्षण से प्राप्त परिणामों के सम्बन्ध में।**

महोदय,

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा सेवा वितरण के स्तर एवं गुणवत्ता का मूल्यांकन हेतु हिमालय क्षेत्रीय अध्ययन एवं शोध संस्थान, दिल्ली द्वारा चार जनपदों (चम्पावत, हरिद्वार, टिहरी एवं ऊधमसिंहनगर) का विश्लेषण सर्वेक्षण किया गया जिसमें निम्नलिखित निष्कर्ष विश्लेषण के उपरान्त उभरकर आये है।

1. **मध्याह्न भोजन योजना के संचालन का कार्य–**

टिहरी एवं हरिद्वार के 40 प्रतिशत प्राथमिक में तथा 45 प्रतिशत उच्च प्राथमिक में, चम्पावत के 85 प्रतिशत प्राथमिक में तथा शत् प्रतिशत उच्च प्राथमिक में और ऊधमसिंह नगर के 65 प्रतिशत प्राथमिक में तथा 50 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में **मध्याह्न भोजन योजना के संचालन में अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों के कार्य का स्तर उचित पाया गया।**

2. **मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत छात्रों की शत् प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करना–**

टिहरी के 25 प्रतिशत प्राथमिक में तथा 20 प्रतिशत उच्च प्राथमिक में, हरिद्वार के 15 प्रतिशत प्राथमिक में तथा 25 प्रतिशत उच्च प्राथमिक में, चम्पावत के 35 प्रतिशत प्राथमिक में तथा 45 प्रतिशत उच्च प्राथमिक में और ऊधमसिंह नगर के 10 प्रतिशत प्राथमिक में तथा 45 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में **छात्रों की शत् प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने में अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों के कार्य का स्तर उचित पाया गया।**

3. **मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन समिति के कार्यों में सहभागिता–**

टिहरी के 30 प्रतिशत प्राथमिक में तथा 50 प्रतिशत उच्च प्राथमिक में, हरिद्वार के 20 प्रतिशत प्राथमिक में तथा 45 प्रतिशत उच्च प्राथमिक में, चम्पावत के 85 प्रतिशत प्राथमिक में तथा शत् प्रतिशत उच्च प्राथमिक में तथा ऊधमसिंहनगर के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक में शत् प्रतिशत विद्यालयों में **विद्यालय प्रबन्धन समिति के कार्यों में सहभागिता में अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों के कार्य का स्तर उचित पाया गया।**

4. **मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत खाद्य सामग्री की सफाई एवं रख रखाव–**

टिहरी, चम्पावत एवं ऊधमसिंहनगर के शत् प्रतिशत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में **खाद्य सामग्री की सफाई एवं रख रखाव में भोजनमाताओं के कार्य का स्तर मध्यम पाया गया** तथा हरिद्वार के 25 प्रतिशत प्राथमिक में तथा 10 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में **खाद्य सामग्री की सफाई एवं रख रखाव में भोजनमाताओं के कार्य का स्तर उत्तम पाया गया।**

5. **मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत किचन उपकरण के रख–रखाव–**

हरिद्वार के 25 प्रतिशत प्राथमिक में तथा 10 प्रतिशत उच्च प्राथमिक में, टिहरी के 95 प्रतिशत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में **किचन उपकरण के रख–रखाव में भोजनमाताओं का कार्य स्तर उत्तम पाया गया**, जबकि चम्पावत एवं ऊधमसिंह नगर के शत् प्रतिशत प्राथमिक एव उच्च प्राथमिक विद्यालयों में **किचन उपकरण के रख–रखाव में भोजनमाताओं का कार्य मध्यम पाया गया।**

6. **मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत स्वच्छ जल की व्यवस्था–**

हरिद्वार के शत् प्रतिशत प्राथमिक में तथा 95 प्रतिशत उच्च प्राथमिक में, ऊधमसिंह नगर के शत् प्रतिशत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक में, चम्पावत के 75 प्रतिशत प्राथमिक में तथा 60 प्रतिशत उच्च प्राथमिक में, टिहरी के 65 प्रतिशत प्राथमिक में तथा 55 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में **स्वच्छ जल की व्यवस्था में भोजनमाताओं का कार्य का स्तर उत्तम पाया गया।**

7. **मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत भोजन के वितरण की व्यवस्था–**

टिहरी के शत् प्रतिशत प्राथमिक में तथा उच्च प्राथमिक में, चम्पावत के शत् प्रतिशत प्राथमिक में तथा 60 प्रतिशत उच्च प्राथमिक में, ऊधमसिंह नगर के 35 प्रतिशत प्राथमिक में तथा 75 प्रतिशत उच्च प्राथमिक में, हरिद्वार के 5 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में **भोजन के वितरण की व्यवस्था में भोजनमाताओं के कार्य का स्तर उत्तम पाया गया**, जबकि हरिद्वार के शत् प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में **भोजन के वितरण की व्यवस्था में भोजनमाताओं के कार्य का स्तर मध्यम पाया गया।**

8. **मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत संकुल समन्वयकों का कार्य स्तर–**

टिहरी के 50 प्रतिशत प्राथमिक में तथा 10 प्रतिशत उच्च प्राथमिक में, हरिद्वार के 45 प्रतिशत प्राथमिक में, 35 प्रातिशत उच्च प्राथमिक में, चम्पावत के 35 प्रतिशत प्राथमिक में तथा 5 प्रतिशत उच्च प्राथमिक में, ऊधमसिंह नगर के 25 प्रतिशत प्राथमिक में तथा 20 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में **संकुल समन्वयकों के कार्य का स्तर उत्तम पाया गया।**

9. **मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत विकासखण्ड समन्वयकों का कार्य स्तर–**

टिहरी के 5 प्रतिशत प्राथमिक में, हरिद्वार के 25 प्रतिशत प्राथमिक में तथा 30 उच्च प्राथमिक में, ऊधमसिंह नगर के 10 प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में **विकासखण्ड समन्वयकों के कार्य का स्तर उत्तम पाया गया**, जबकि चम्पावत, ऊधमसिंह नगर एवं टिहरी के किसी भी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में **विकासखण्ड समन्वयकों के कार्य का स्तर उत्तम नहीं पाया गया।**

10. **मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत जिला स्तरीय अधिकारियों का कार्य स्तर–**

टिहरी के 45 प्रतिशत प्राथमिक में तथा 35 प्रतिशत उच्च प्राथमिक में, हरिद्वार के 75 प्रतिशत प्राथमिक में तथा 70 प्रतिशत में उच्च प्राथमिक में, चम्पावत के 55 प्रतिशत प्राथमिक में तथा 55 प्रतिशत उच्च प्राथमिक में, ऊधमसिंह नगर के 75 प्रतिशत प्राथमिक में तथा 70 उच्च प्राथमिक में **जिला स्तरीय अधिकारियों (जिला परियोजना अधिकारी, डायट फैकल्टी, जिला समन्वयक) के कार्य का स्तर उत्तम पाया गया।**

अतः उपरोक्त के अनुक्रम मे आपको निर्देशित किया जाता है कि–

- मध्याह्न भोजन योजना का नियमित एवं प्रभावी अनुश्रवण किया जाए तथा अनुश्रवण में पाई जाने वाली स्थानीय समस्याओं का निराकरण विद्यालय, विकासखण्ड तथा जनपद स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की नियमित मासिक/त्रैमासिक बैठकों की माध्यम से सुनिश्चित किया जाए।
- विद्यालयों में नियमित खाद्यान्न की उपलब्धता बनाए रखने के लिए जनपद तथा विकासखण्ड स्तर पर जिला पूर्ति अधिकारी व खाद्यान्न निरीक्षक के साथ नियमित समन्वयन स्थापित किया जाए। प्रत्येक विद्यालय में एक माह का अग्रिम खाद्यान्न सुरक्षित रखा जाए ताकि प्राकृतिक आपदा यथा अतिवृष्टि, भूस्खलन, हिमपात आदि में योजना बाधित न हो।
- खाद्यान्न की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि एफ0सी0आई0/आर0एफ0सी0/डी0एस0ओ0 स्तर से खाद्यान्न के उठान के समय संयुक्त निरीक्षण किया जाए तथा उठाए जा रहे खाद्यान्न की नमूने की जाँच की जा सके।
- विद्यालय प्रबन्धन समिति की प्रत्येक माह बैठक सुनिश्चित की जाए तथा स्थानीय समस्याओं का निराकरण समिति के माध्यम से किया जाए।

भवदीय

(राधिका झा)
राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पृ0सं0/एम0डी0एम0/21/606–11 /2013–14 तद्दिनांक ।

**प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–**

1) श्री अमरजीत सिंह, संयुक्त सचिव, ई0ई0–1, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2) प्रमुख सचिव, एस0 रामास्वामी, उत्तराखण्ड शासन।
3) प्रमुख सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4) आर0 के0 तोमर, उप सचिव, उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र संख्या–1351/XXIV(1)2013-12/2010 Vol-II दिनांक 04 दिसम्बर, 2013 के अनुपालन के क्रम में।
5) निदेशक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।

(राधिका झा)
राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान
उत्तराखण्ड, देहरादून।